

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
08.10.15	<p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं० 40/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम कुन्दन कुमार सिंह, थाना-दरियापुर</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.15 (ज्ञापांक 785/न्या०, दिनांक 07.10.15 के द्वारा संसूचित) के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को निर्देश दिया गया था कि वे थानाध्यक्ष, दरियापुर के द्वारा अबतक नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछना सुनिश्चित करें, एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें। साथ ही, थानाध्यक्ष, दरियापुर को निर्देशित करें कि वे विपक्षी को जिला विधि शाखा में दिनांक 12.10.2015 को उपस्थित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के ज्ञापांक आर० 3258/गो०, दिनांक 06.10.2015 के द्वारा प्रेषित पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 08.10.2015 को प्राप्त है, के साथ संलग्न कर वाद संख्या 39/15, 40/15, 41/15, 42/15 एवं 43/15 का तामिला प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इनमें वाद संख्या 40/15 पर प्राप्तकर्ता के द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तिथि अंकित नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा यह नोटिस दिनांक 06.10.2015 के पूर्व प्राप्त कर लिया गया था। फिर भी आज दिनांक 08.10.2015 तक कार्यालय में आकर उनके द्वारा न तो अपना जवाब दाखिल किया गया, और न ही नोटिस में अंकित बिन्दुओं के प्रसंग में अपनी स्थिति स्पष्ट की गई।</p> <p>अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत में यह पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि विपक्षी कुन्दन कुमार सिंह, पे० स्व० दिनेश्वर सिंह, सा० दरिहारा चतुर्भुज, थाना दरियापुर, जिला सारण के एक आदतन अपराधी है, एवं आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन 2015 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में उसके द्वारा बाधा उत्पन्न करने की आशंका है। अतः बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक है। अतः उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निर्देश देता हूँ कि विपक्षी को इस आदेश की प्राप्ति से दिनांक 12.11.2015 तक जिला बदर किया जाता है।</p> <p>विपक्षी को निर्देश है कि वे आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में इस आशय का शपथपत्र उपलब्ध कराना</p>	



